बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक 16-02-2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–89/2025.......781......./यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2893/2025 हिमांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 25.02.2025 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2893/2025 हिमांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 25.02.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"... Learned counsel appearing on behalf of the Bihar Public Service Commission, as well as, State submits that the case of the petitioner is squarely covered by the law laid down by the Apex Court in the case of Ran Vijay Singh & Ors. Vs. State of Uttar Pradesh & Ors., reported in (2018) 2 SCC 357. However, the petitioner may represent before the Director, Primary Education, Bihar for redressal of his grievance.

3. The petitioner, if so desires, may file representation for redressal of his grievance before the respondent no.2 – the Director, Primary Education, Bihar, who is directed to dispose of the representation of the petitioner in accordance with the law laid down by the Apex Court in the case of Ran Vijay Singh (supra) expeditiously.

4. The writ petition stands disposed of...."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में वाद का निष्पादन हेतु याचिकाकर्त्ता को विभागीय पत्रांक–1140 दिनांक–28.04.2025 एवं पत्रांक–179 दिनांक–15.01.2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई के क्रम में वस्तुस्थिति रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई में याचिकाकर्त्ता उपस्थित हुए एवं उनके तथ्यों को विस्तार पूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–22/2024 (TRE-3) के तहत वर्ग I से V की निर्धारित परीक्षा में भाग लिया, जिसमें मेरा अनुक्रमांक 714915, रजिस्ट्रेशन सं0–202422440544 एवं ओ0एम0आर0 आंसर सीट सं0–6200424 है। ओ0एम0आर0 आंसर सीट के अनुसार मैं 73 मार्क्स हासिल किया और 75 मार्क्स सही भी किये है। मेरे द्वारा परीक्षा के प्रश्न में अंकित प्रश्न सं0–72 और 125 का उत्तर सही दिया गया था। चूंकि मैं EWS कोटि का अभ्यर्थी हूँ। उक्त परीक्षाफल में EWS कोटि का कट–ऑफ मार्क्स 74 है जबकि मुझे 73 मार्क्स प्राप्त हुआ है।

साथ ही प्रश्न संख्या–72 एवं 125 सही है। मेरे द्वारा प्रश्न सं0–72 एवं 125 पर आपत्ति दर्ज की गई। आपत्ति के दौरान प्रश्न सं0–72 में औपबंधिक उत्तर सही किया गया परन्तु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न सं0–125 का उत्तर गलत माना गया। इस प्रकार मुझे 74 अंक प्राप्त हो रहा है। फिर भी प्रकाशित परिणाम में मेरा रिजल्ट नहीं था।

5. उक्त के क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4242 दिनांक–22.01.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–22/2024 की कंडिका–4 में अंकित है कि पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। साथ ही सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 2893/2025 हिमांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में आयोग के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को Civil Appeal No-367/2017 (Ran Vijay Singh & Ors Vs State of U.P. & Ors) में पारित आदेश से अवगत कराया गया है, यह भी बताया गया कि उक्त न्यायादेश में Re-evaluation का Provision नही होने की स्थिति में Re-evaluation का आदेश देने से मनाही की गई है।

6. Civil Appeal No&5046/2004 PLJR(Sc) (Pramod Kumar Srivastava Vs BPSC) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"...The High Court held that the rule providing for verification of marks gave an implied power to the examinees to demand a disclosure and inspection and also to seek re-evaluation of the answer-books. The judgment of the High Court was set aside and it was held that in absence of a specific provision conferring a right upon an examinee to have his answer-books re-evaluated, no such direction can be issued. There is no dispute that under the relevant rule of the Commission there is no provision entitling a candidate to have his answer-books re-evaluated. In such a situation, the prayer made by the appellant in the writ petition was wholly untenable and the learned Single Judge had clearly erred in having the answer-book of the appellant re-evaluated..."

उपर्युक्त विन्दुओं के आलोक में वादी के दावे जो Re-evaluation का है, के लिए कोई न्यायिक आधार नहीं बनता है। अतएव याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकृत करते हुए वाद को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक:–07/ मु0–01–89/2025......781 पटना, दिनांक:–......16-02-2026

प्रतिलिपि:– Himanshu Kumar Son of Pramod Pandey, Resident of Village Tikulia, P.S. Paharpur, District East Champaran at Motihari. को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।